न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2649/2005/हनुमानगढ

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (राजस्व) भादरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. अन्तरसिंह मृतक जरिये वारिसान–
1/1. मु. विद्यावती बेवा अन्तरसिंह
1/2. दलीप
1/3. राजवीर
1/4. इन्द्रपाल पुत्रगण अन्तरसिंह
2. महेन्द्रसिंह
3. मानसिंह
4. रणसिंह पुत्रगण नत्थूराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
5. मु.पतोरी बेवा धर्मसिंह जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
6. दिवानसिंह
7. प्रदीप पुत्रगण धर्मसिंह
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गांधीबडी तहसील भादरा, हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश कुमार जयसवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 07.06.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गांधी बडी के चक नम्बर–7 में वादपत्र में वर्णित अनुसार कुल 2.530हैक्टयर स्थित है, जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण का उनके पिता के समय से करीब 35 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें वादीगण संख्या–1 से 4 का 4/5हिस्सा एवं वादीगण संख्या–5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार दर्ज हो चुके है किन्तु विवादित भूमि जमाबन्दी में गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी बेदखल करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन विवाद्यक कायम कर उपरान्त वादी पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 17–09–2002 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी

की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-01-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बतौर टिनेन्स साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहे है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने राज्य पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिनाअनियमित रूप से राज्य सरकार की तलबी बन्द कर वादीगण प्रत्यर्थीगण का दावा एकतरफा में डिक्री कर दिया, जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य एवं विधिक बिन्दू की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने समक्ष राज्य पक्ष की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम की गयी थी किन्तु विचारण न्यायालय ने कायम की गयी तनकियात पर वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की किसी प्रकार की कोई तनकीवार विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना वाद को डिक्री कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी

करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विलम्ब के सम्बन्ध में उदार रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जावे। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त की भूमि रही है, जिस पर वादीगण वर्षो से काबिज काश्त है। उनका कथन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2029 एवं जमाबन्दी 2057 में विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज नत्थूराम की गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण प्रत्यर्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है, जिसमें वादीगण संख्या 1 से 4 का 4/5हिस्सा व वादीगण संख्या–5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य पक्ष की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी किन्तु जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरान्त राज्य पक्ष की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी। उनका कथन है कि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी पर वादीगण ने अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होना प्रमाणित कराया। विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उनका कथन है

कि दोनेां ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी बाबत् पर्याप्त एवं सद्भाविक कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र तथा अपील में गुणावगुण पर सुदृढ होने की स्थिति के मद्देनजर आर.आर.टी. 2002(1) पेज 53 तथा आर.बी.जे. 2016 (23) पेज 678 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में प्रकरण में मियाद के बिन्दु को कंडोन किया जा कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम गांधी बडी के चक नम्बर–7 में वादपत्र में

वर्णित अनुसार कुल 2.530हैक्टयर स्थित है, जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा वादीगण का उनके पिता के समय से करीब 35 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें वादीगण संख्या–1 से 4 का 4/5हिस्सा एवं वादीगण संख्या–5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार दर्ज हो चुके है किन्तु विवादित भूमि जमाबन्दी में गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी बेदखल करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद में राज्य पक्ष के विरूद्ध दिनांक 29–01–2002 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर एवं गुणावगुण पर बलहीन होने से खारिज कर दी।

9. प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी भादरा तहसील में स्थित होने से राजस्व तहसील भादरा में राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 प्रभावी है। वादीगण प्रत्यर्थीगण ने सम्पूर्ण दावे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित आराजी गैर खातेदारी में किस आधार पर दर्ज हुई। यदि भूमि का आवंटन उक्त नियमों के अन्तर्गत हुआ है तो नियमानुसार सम्पूर्ण आवंटन कीमत जमा सरकार होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है, उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद की आवश्यकता नहीं है। यदि आवंटित भूमि की कीमत जमा नहीं हुई है तो काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती। द्वितीय एडवर्स पजेशन के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त विधिक बिन्दू की अनदेखी करते हुए

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-01-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्व भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-09-2002 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, राजस्व भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादीगण से भूमि के गैर खातेदारी दर्ज होने का मूल स्त्रोत प्रकट करवाये तथा राज्य सरकार अपने रिकार्ड से प्रमाणित करे कि क्या भूमि भाखरा नियमों के तहत आवंटित है अथवा 1955 से पूर्व की खातेदारी की भूमि है। इन बिन्दूओं पर विस्तृत जांच कर एवं उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)	**(राकेश कुमार जयसवाल)**
सदस्य	**सदस्य**